254

संख्याः-374-A/XXVII(1)/2013

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 20 मई, 2013

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त का तदर्थ आधार पर अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 27 नगर पालिका परिषदों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय धनराशि में से कॉलम–5 में इंगित धनराशि की कटौती पेंशन निधि हेतु करते हुये कॉलम–6 में निकाय के सम्मुख इंगित कुल धनराशि **₹285855000.00 (₹ अट्ठाईस करोड़ अट्ठावन लाख पचपन हजार मात्र)** अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

(1) अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में देय धनराशि के अनुसार ही तदर्थ रूप से वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्ष 2013–14 की बढ़ी हुई धनराशि आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तर–8.20 का अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर ही देय होगी।

(6) शहरी स्थानीय निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब उनके द्वारा उपरोक्त बिन्दु 5 पर अनुपालन आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।

(7) यदि निर्धारित तिथी तक उपरोक्त वांछित/ उपयोगी सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं और इन सूचनाओं के अभाव में निकायों को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में विलम्ब होता है, तो इसके लिये सम्बन्धित निकाय तथा शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।

(8) सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः–374-A(1)/XXVII(1)/2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी.....।
5– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी .....।
9– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 374-IV/XXVII(1)/ 2013

दिनांकः 20 मई, 2013

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर पालिका परिषदों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त का अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	तदर्थ आधार पर प्रथम किश्त हेतु देय अंतरण	पेंशन निधि हेतु कटौती का अंश (1%)	प्रथम त्रैमास हेतु तदर्थ आधार पर अवमुक्त अंतरण
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका परिषदें					
1	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	9612	96	9516
योग			**9612**	**96**	**9516**
2	चमोली	1–जोशीमठ	8490	85	8405
3		2–चमोली / गोपेश्वर	10888	109	10779
योग			**19378**	**194**	**19184**
4	नई टिहरी	1–नई टिहरी	16401	164	16237
5		2–नरेन्द्र नगर	6034	60	5974
योग			**22435**	**224**	**22211**
6	देहरादून	1–मसूरी	26909	269	26640
7		2–विकासनगर	4535	45	4490
8		3–ऋषिकेश	23086	231	22855
योग			**54530**	**545**	**53985**
9	पौड़ी	1–कोटद्वार	7151	72	7079
10		2–श्रीनगर	9405	94	9311
11		3–पौड़ी	17974	180	17794
12		4–दुग्गड्डा	1577	16	1561
योग			**36107**	**362**	**35745**
13	चम्पावत	1–टनकपुर	4273	43	4230
योग			**4273**	**43**	**4230**
14	नैनीताल	1–रामनगर	14579	146	14433
15		2–नैनीताल	26403	264	26139
16		3–भवाली	1847	18	1829
योग			**42829**	**428**	**42401**

क0 सं0	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	तदर्थ आधार पर प्रथम किश्त हेतु देय अंतरण	पेंशन निधि हेतु कटौती का अंश (1%)	प्रथम त्रैमास हेतु तदर्थ आधार पर अवमुक्त अंतरण
1	2	3	4	5	6
17	उधमसिंह नगर	1–जसपुर	11119	111	11008
18		2–बाजपुर	6500	65	6435
19		3–गदरपुर	4318	43	4275
20		4–किच्छा	9508	95	9413
21		5–सितारगंज	5929	59	5870
22		6–खटीमा	5000	50	4950
योग			**42374**	**423**	**41951**
23	हरिद्वार	मंगलौर	11316	113	11203
योग			**11316**	**113**	**11203**
24	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	18300	183	18117
योग			**18300**	**183**	**18117**
25	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	14990	150	14840
योग			**14990**	**150**	**14840**
26	बागेश्वर	बागेश्वर	6939	69	6870
योग			**6939**	**69**	**6870**
27	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	5659	57	5602
योग			**5659**	**57**	**5602**
योग			**288742**	**2887**	**285855**

(₹ अट्ठाईस करोड़ अट्ठावन लाख पच्चपन हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।